


क्रमांक एफ 15 () 2023 / कार्मिक-भर्ती / प्रमुखसं /

दिनांक

कार्यालय आदेश


1. पशु चिकित्सा अधिकारी हेतु दिनांक 02.05.2023 को जारी विज्ञप्ति के आवेदन पत्र के बिन्दू संख्या 05 में दिनांक 01.08.2022 के स्थान पर दस्तावेज सत्यापन दिनांक संशोधित कर पढा जावे।
2. आवश्यक अस्थायी आधार (Urgent Temporary Basis) पर पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तों के क्रम संख्या 02 पर अंकित बिन्दु में संशोधन कर प्रार्थी का राजस्थान चिकित्सा परिषद में स्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन की दिनांक तक का होना आवश्यक है।
3. आवश्यक अस्थायी आधार (Urgent Temporary Basis) पर पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तों के क्रम संख्या 04 पर अंकित बिन्दु में संशोधन कर दस्तावेज सत्यापन की दिनांक तक आवेदक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग/महिलाओं(विधवा एवं परित्यक्ता महिला सहित) को नियमानुसार आयु सीमा में छूट देय होगी।
4. आवश्यक अस्थायी आधार (Urgent Temporary Basis) पर पशु चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तों के क्रम संख्या 05 में अंकित दिनांक 01.08.2022 के स्थान पर दस्तावेज सत्यापन की दिनांक तक होना आवश्यक होना पढा जावे।
5. उक्तानुसार संशोधन पश्चात् पात्र अभ्यर्थी दिनांक 12.06.2023 को प्रातः 11.00 बजे से 5.00 बजे तक अपने आवेदन पत्र पत्र मय मूल दस्तावेज सहित अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर में कक्ष सी-109 में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


 (डॉ. दीप नारायण पाण्डेय)
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
 (वन बल प्रमुख)
 राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 15 () 2023 / कार्मिक-भर्ती / प्रमुखसं / 1660-62
 प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक 24/05/23

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
2. आई.टी अनुभाग को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।


 (जे.एस.दहिया)
 उप वन संरक्षक(संस्था.-राजपत्रित)
 राजस्थान जयपुर